न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– बिनोद कुमार तिर्की पिता स्व0 गुजू उरॉव बगैरह.........।

बनाम

द्वितीय पक्ष– सोमरा उरॉवा पिता स्व0 शनिचर उरॉव बगैरह.. ।

वाद सं0 53/2020

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
24/3/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 24/2020 दिनांक 26/09/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) बनोद कुमार तिर्की पिता स्व0 गुजू उरॉव ग्राम कोडेकेरा डाड़टोली थाना पालकोट बनाम **द्वितीय पक्ष** (1) सोमरा उरॉव उम्र 28 वर्ष (2) बिराज उरॉव उर्फ कारू उरॉव उम्र 20 वर्ष (3) घुरन तिर्की उम्र 19 वर्ष तीनो पिता स्व0 शनिचर उरॉव (4) मांगु उरॉव उम्र 20 वर्ष पिता जाड़े उरॉव (5) जाडे उरॉव उम्र 50 वर्ष (6) शनिचर उरॉव उम्र 51 वर्ष दोनो पिता स्व0 लखन उरॉव सा0 कोडेकेरा डाड़टोली थाना पालकोट जिला गुमला के बीच घर के सामने खुटा गाड़ने को को लेन आपसी विवाद है । उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उभय पक्षो के बीच वाद समयवधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने वाद की वाद की समयवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.05 16:35:52 +05:30 Location: 192.168.1.2	